GOYALRESIDENCY

SCALE 1:1000

Valid up to........
APPROVED
As Per Conditions ...
Memo No. 3756
27/09/2023

Joint Director
Town & Country Planning
INDORE (M.P.)

Assistant Director
Town & Country Planning
Indore (M.P.)

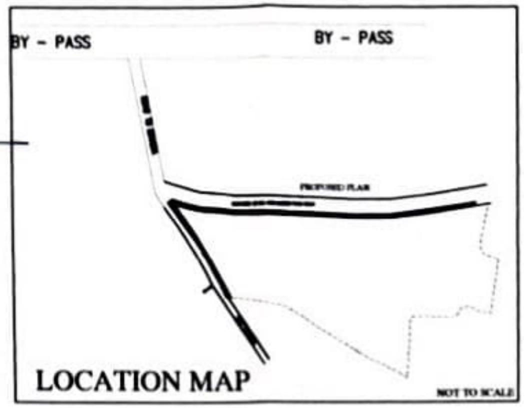

LOCATION MAP

PROPOSED RESIDENTIAL COLONY 'GOYAL RESIDENCY'
LAYOUT PLANON SURVEY NO 25/1, 25/3, 25/4, 25/5,25/6,
AT VILLAGE BIHARIYA DISTRICT INDORE M.P.
BY:-
M/S AASHIYANA INFRA CREATIONS
PARTNER
MR. VIJAY GOYAL S/O MR. OM PRAKASH GOYAL

AREA STATEMENT

TOTAL LAND AREA (AS PER RECORD)	75200.00 SQM	
LAND UNDER ROAD WIDENING	4401.11 SQ.M.	
NET PLANNING AREA	70798.89 SQ.M.	100.0%
PLOT AREA	37550.23 SQ.M.	53.04%
ROAD AREA	22433.06 SQ.M.	31.69%
OPEN AREA	7079.88 SQ.M.	10.00%
SERVICE AREA	708.08 SQ.M.	1.00 %
AMENITY	587.64 SQ.M.	0.83 %
EWS/LIG	2440.00 SQ.M.	3.44 %

CALCULATION FOR THE INFORMAL SECTOR

AREA DETAIL OF INFORMAL SECTOR

1	TOTAL PLOT AREA (37550.23 + 587.64 + 1220.00 + 1220.00)	40577.87 SQ.M.
2	6% OF TOTAL PLOT AREA	2440.00 SQ.M.
3	3% E.W.S. PLOT AREA	1220.00 SQ.M.
4	3% L.I.G. PLOT AREA	1220.00 SQ.M.

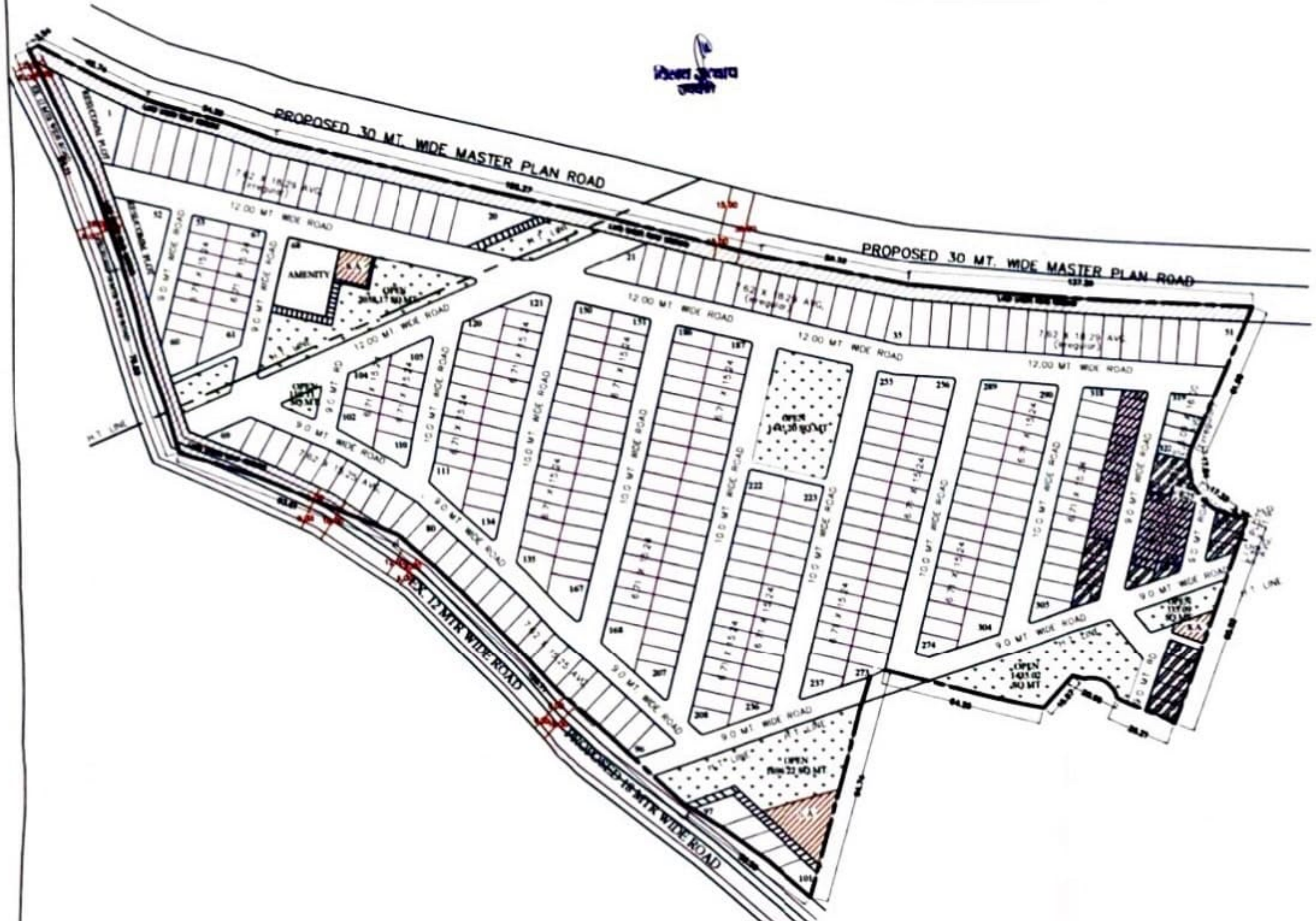

KHASRA PLAN
SCALE 1:1000

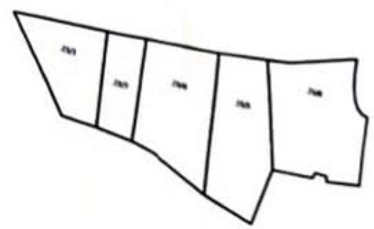

OWNER

For M/s Aashiyana Infra Creations

Partner

ARCHITECT

Ar. Mohammad Danish khan
CA/2020/124510

Real Estate Regulatroy Authority Madhya Pradesh

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760
Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : P-IND-25-5415

परियोजना का नाम : गोयल रेसीडेंसी

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/श्रीमती .... पुत्र श्री/श्रीमती ....
.... तहसील .... जिला .... राज्य ....

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में : आशियाना इन्फ्रा क्रिएशन्स

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान प्लॉट नं.03, पीयू-4, स्कीम नं. 54, विजयनगर, अपो. बॉम्बे हॉस्पीटल, इन्दौर-म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :
   (i) संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।
   (ii) संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितिगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
   (iii) संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितिगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
   (iv) पंजीयन दिनांक 01-01-2024 से प्रारंभ होकर दिनांक 30-09-2026 तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
   (v) संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
   (vi) संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।
4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,13,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अध्यधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : 10-02-2025

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण